


Crus- 2022/281

9/22
14/11/22

फर्द अहकाम

अज अदालत -जिला कलक्टर,-मुकाम -भरतपुर
नसीम अहमद बनाम विकास अधिकारी पंचायत समिति कामां
किस्म मुकदमा-अपील आर.टी.आई. नम्बर 91. सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
14.11.2022	<p>प्रार्थी/अपीलान्ट नसीम अहमद एडवोकेट, सीट नम्बर 56 सिविल कोर्ट फिरोजपुर झिरका 122104 (हरियाणा) ने आर टी आई के तहत यह अपील विकास अधिकारी पंचायत समिति कामां के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। अपील के साथ सलंगन फोटो प्रति पत्रादि से जाहिर है कि प्रार्थी ने आर.टी.आई. के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र में विकास अधिकारी पंचायत समिति कामां द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण, आरटीआई के तहत यह अपील इस कार्यालय को प्रेषित की गई है।</p> <p>आर.टी.आई. एक्ट के तहत विकास अधिकारी पंचायत समिति के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार सम्बन्धित प्रधान, पंचायत समिति कामां को है। अतः प्राप्त मूल अपील को लौटाई जाकर अपीलार्थी को लिखा जावे कि वह नियमानुसार प्रधान, पंचायत समिति कामां को अपील प्रस्तुत करें। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफतर हो।</p> <p></p>	